पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-240
दिनांक- 08.02.2026

जोन- उत्तरी / थाना अलीगंज

- **थाना अलीगंज पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 07.10.25 को वादिनी मुकदमा शब्बो खातून पत्नी मोहम्मद इरशाद नि0 431/861 मोमिन नगर इलाफ पैलेस थाना सआदतगंज लखनऊ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि मेरे पुत्र अशफाक उम्र 19 वर्ष का वाहन संख्या UP33AW 2666 से क्राइम ब्रान्च टीम बताकर अपहरण कर पैसे की मांग करना तथा न देने पर मारपीट करके जान माल की धमकी देते हुए मौजूद पैसे छीन लेना जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 210/2025 धारा 191(2)/115(2)/351(2)/140(2)/309(4) बीएनएस विरूद्ध 1.वाहन सं0-UP33AW2666 का चालक नाम पता अज्ञात 2.सलमान 3. अयान पंजीकृत किया गया

अभियोग पंजीकृत होने के बाद से ही अभि0 सलमान खान फरार चल रहा था। प्रभारी निरीक्षक अलीगंज के नेतृत्व मे वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी के दौरान थाना अलीगंज पुलिस टीम द्वारा फरार चल रहे अभि0 सलमान खान पुत्र नफीस खान नि0 433/1084 नया राम नगर हरि मजार के पास कैपबेल रोड थाना सहादतगंज लखनऊ उम्र 25 वर्ष को मुखबिर खास की सूचना पर वेलिंगटन चौराहे के पास केसरबाग रोड फेडरल बैंक के पास से समय 20.05 बजे दि0 07.02.26 को गिरफ्तार किया गया है। अभि0 उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत अन्य अभियोगो के बारे मे जानकारी करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01-सलमान खान पुत्र नफीस खान नि0 433/1084 नया राम नगर हरि मजार के पास कैपबेल रोड थाना सहादतगंज लखनऊ उम्र 25 वर्ष (प्राइवेट नौकरी)

03-पंजीकृत/अनावरित अभियोग-

01-मु0अ0सं0 210/2025 धारा 115(2)/351(2)/140(2)/309(4) बीएनएस थाना अलीगंज लखनऊ

04-अपराधिक इतिहास- जितेन्द्र कुमार तिवारी

01-मु0अ0स0 443/2020 धारा 18/20 व 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना ठाकुरगंज लखनऊ
02-मु0अ0सं0 490/2022 धारा 147/148/149/307/323/506 भादवि थाना ठाकुरंगज लखनऊ

05--गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री धर्मराज सिंह थाना अलीगंज लखनऊ
2. उ0नि0 श्री अभय प्रताप सिंह थाना अलीगंज लखनऊ
3. उ0नि0 श्री मोहन सिंह थाना अलीगंज लखनऊ
4. उ0नि0 श्री विपिन सिंह थाना अलीगंज लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-239
दिनांक 08.02.2026

जोन- दक्षिणी/थाना- बंथरा

- **नाबलिक को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

थाना बंथरा पर दिनांक 22.01.2026 को **वादी की पुत्री** उम्र करीब 17 वर्ष को अभियुक्त अमित कुमार यादव पुत्र अनिल यादव द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना बंथरा लखनऊ पर दी गयी तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 022/2026 धारा 87/137(2) बीएनएस बनाम अमित कुमार यादव पुत्र अनिल यादव उपरोक्त के पंजीकृत हुआ।

दौरान विवेचना विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व मुखिबर खास की सूचना के आधार पर आजाद गेस्ट हाउस से आउटर रिंग रोड चौराहा दरोगा खेडा के पास से पीड़िता को बरामद कर अभियुक्त अमित कुमार यादव पुत्र अनिल यादव निवासी ग्राम उस्मानपुर थाना खरीक बाजार जिला भागलपुर बिहार को गिरफ्तार कर लिया गया जिसे आज न्यायिक हिरासत मे भेजा जा रहा है।

02-पुछताछ का विवरणः-

अभियुक्त अमित कुमार उपरोक्त द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि मै पीड़िता को जानता हूँ। पीड़िता के घर के पड़ोस में रहकर मजदूरी का कार्य करता हूँ वही से मेरा पीड़िता से प्यार हो गया था जिसे मै बहला फुसलाकर शादी करने के लिये भगा ले गया था।

03-अनावरित अभियोग-

01-मु0अ0सं0 – 022/2026 धारा 87/137(2) बीएनएस थाना बंथरा लखनऊ

04-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता/व्यवसायः-

01-अमित कुमार पुत्र अनिल यादव निवासी ग्राम उस्मानपुर थाना खरीक बाजार जिला भागलपुर बिहार उम्र 22 वर्ष (व्यवसाय - प्राइवेट नौकरी)

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 विपिन कुमार (विवेचक) थाना बंथरा लखनऊ
2. उ0नि0 रणवीर सिंह थाना बंथरा लखनऊ।
3. म0का0 स्वाती सिंह थाना बन्थरा लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-235

दिनांक-08.02.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना- मोहनलालगंज

- **मृत व्यक्ति के नाम से फर्जी आधार कार्ड बनवाकर धोखाधड़ी करने वाले फरार वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही :-

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री अमरेन्द्र सिंह सेंगर के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस उपायुक्त दक्षिणी श्री निपुण अग्रवाल के कुशल पर्यवेक्षण व श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त श्री रल्लापल्ली बसंथ कुमार तथा श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज महोदय श्री विकास कुमार पाण्डेय के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक मोहनलालगंज श्री ब्रजेश कुमार त्रिपाठी की पुलिस टीम द्वारा धोखाधड़ी करने वाला शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।

02- संक्षिप्त विवरण-

थाना मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ पर ग्राम उदयपुर निगोहा स्थित कृषि योग्य भूमि के संबंध में फर्जी बैनामा कराए जाने के आरोप में मु0अ0सं0 562/25 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। वादिनी विमला सिंह पत्नी स्वर्गीय अवधराज सिंह द्वारा सूचना दी गई थी कि उसके स्वर्गीय पति के नाम दर्ज कृषि भूमि को मृतक के नाम का दुरुपयोग कर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर बैनामा करा लिया गया है।

प्रारम्भिक जांच एवं अभिलेखों के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम उदयपुर निगोहां स्थित गाटा संख्या **296,** रकबा **0.449** हे0 भूमि राजस्व अभिलेखों में लता स्नेहलता वर्मा तथा स्वर्गीय अवधराज सिंह के नाम सह-खातेदार के रूप में दर्ज थी। स्वर्गीय अवधराज सिंह की मृत्यु दिनांक **16.02.2023** को हो चुकी थी**,** इसके बावजूद अभियुक्तों द्वारा एक फर्जी व्यक्ति को मृतक अवधराज सिंह के रूप में प्रस्तुत कर भूमि विक्रय किया गया।

विवेचना के दौरान यह पाया गया कि राजकुमार पुत्र मिश्रीलाल, ज्ञानेन्द्र राजपूत पुत्र गयाप्रसाद एवं कमल यादव पुत्र श्रीकेशन द्वारा आपराधिक षड्यंत्र के तहत एक अज्ञात व्यक्ति को मृतक अवधराज सिंह के नाम से विक्रेता बनाकर प्रस्तुत किया गया। उक्त फर्जी विक्रेता के नाम से फर्जी आधार कार्ड, फर्जी फोटो एवं अन्य कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उपनिबन्धक कार्यालय मोहनलालगंज में दिनांक **18.07.2024** को लगभग **17** बिस्वा भूमि का बैनामा कराया गया।

जांच में यह भी सामने आया कि बैनामा के समय एक अन्य फर्जी व्यक्ति को भूपेन्द्र नाथ के नाम से बैनामा गवाह के रूप में खड़ा किया गया।

साथ ही बैनामा धन लेने हेतु अभियुक्त हरिशंकर उर्फ शंकर द्वारा मृतक अवधराज सिंह के नाम का प्रयोग कर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कल्ली पश्चिम में फर्जी आधार कार्ड के माध्यम से बैंक खाता खुलवाया गया, जिसमें क्रेता द्वारा दी गई धनराशि का भुगतान कराया गया।

विवेचना में यह तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आया कि क्रेता हेतराम पाल पुत्र रामचन्द्र, निवासी शारदा नगर, आशियाना, लखनऊ स्वयं इस पूरे प्रकरण में ठगा गया पीड़ित है। उसके द्वारा भूमि क्रय हेतु कुल **7,20,000/-** रू0 की धनराशि विभिन्न चेकों एवं नगद के माध्यम से दी गई, जिसे अभियुक्तों द्वारा धोखाधड़ी से हड़प लिया गया।

समग्र विवेचना से यह निष्कर्ष निकलकर सामने आया है कि अभियुक्त राजकुमार, ज्ञानेन्द्र राजपूत एवं कमल यादव , सर्वेश, हरिशंकर उर्फ शंकर द्वारा संगठित गैंग बनाकर आपराधिक षड्यंत्र के तहत मृतक व्यक्ति के नाम की भूमि को क्रेता हेतराम पाल को विक्रय कर गंभीर एवं जघन्य अपराध कारित किया गया। प्राप्त साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि अभियुक्तों द्वारा कूटरचित दस्तावेज, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी बैंक खाता तथा फर्जी गवाह का प्रयोग कर धोखाधड़ी की गई।

विवेचना के क्रम में अभियुक्त **राजकुमार को दिनांक 17.01.2026 को एवं दिनांक 18.01.2026 को अभियुक्त ज्ञानेन्द्र राजपूत एवं सर्वेश को गिरफ्तार किया गया था।** अभियुक्त हरिशंकर व कमल यादव की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे। दिनांक **07/02/2026** को मोहनलालगंज पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त हरिशंकर उर्फ शंकर को गणपति स्वीट्स थाना क्षेत्र पीजीआई से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

03-पूछताछ अभियुक्त विवरण-

अभियुक्त ने स्वीकार किया कि वर्ष **2024** में उसकी पहचान बेलहियाखेड़ा निवासी राजकुमार एवं कनकहा निवासी ज्ञानेन्द्र से संतराम के माध्यम से हुई थी। राजकुमार द्वारा बैंक में खाता खुलवाने के लिए **2000** रू0 देने का प्रलोभन दिया गया था। अभियुक्त को कल्ली पश्चिम स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र ले जाया गया, जहाँ फर्जी आधार कार्ड के आधार पर अवधराज सिंह नाम से खाता खुलवाया गया। अभियुक्त ने यह भी स्वीकार किया कि खाता खोलते समय उसने अपने वास्तविक नाम के स्थान पर अवधराज सिंह नाम लिखकर हस्ताक्षर किए।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. हरिशंकर उर्फ शंकर पुत्र स्व0 श्याम निवासी ग्राम कनेरी, मोती का पुरवा थाना नगराम, जनपद लखनऊ, उम्र करीब 32 वर्ष व्यवसाय- मजदूरी

विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों से यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त द्वारा फर्जी व कूटरचित आधार कार्ड के आधार पर बैंक खाता संख्या 60498778305 खुलवाया गया, जिसमें पंजीकृत अभियोग से संबंधित भूमि क्रय के क्रम में क्रेता हेतराम पाल द्वारा 3,00,000/-रू0 का चेक संख्या 000112 (बैंक ऑफ बड़ौदा) जमा कराया गया। उक्त धनराशि से साथी अभियुक्त राजकुमार द्वारा एलईडी टीवी एवं वोल्टास कंपनी का एसी नारायण इलेक्ट्रॉनिक्स, मोहनलालगंज से क्रय किया गया, जिसकी बरामदगी पूर्व में राजकुमार की निशानदेही पर की जा चुकी है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 श्री यशवन्त सिंह
2. का0 अरुण कुमार यादव